न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 47 / अपील / 2023	14.08.2023	23.12.2024
(GCMS No. 2023 / 181)		

श्रीमती गीता देवी पत्नी रामबाबू जाति खटीक,
निवासी गेण्डोलीखुर्द हाल निवासी ए–4 मेन रोड, जवाहर नगर कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

— अपीलांट

बनाम

1. प्रभु आ. स्व.दयाला जाति रेगर नि. गेण्डोलीखर्द, तह.रायथल
2. श्रीमती मनभरबाई पुत्री स्व.दयाला पत्नी ग्यारसीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम जखाणा, तहसील रायथल, जिला बून्दी
3. श्रीमती लाड़बाई पुत्र स्व.दयाला पत्नी मदनलाल जाति रेगर निवासी बांसी, तहसील नैनवां, जिला बून्दी
4. राजस्थान राज्य तहसीलदार एवं उप पंजीयक, रायथल,

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री रमेश कुमार जैन, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री मुकेश उदयवाल, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार के0पाटन द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 19.05.1992 ग्राम गेण्डोलीकलां से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से गैर खातेदार दयाला आ. चतरा कौम रेगर को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायर पंजिका क्रमांक 47/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/181 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटित भूमि पुराना खसरा संख्या 98 व 99 जिसके नये खसरा नम्बर 834, 835, 836 बने है, के लगवा खसरा संख्या 289 व 837 की भूमि है। खसरा सं. 289 के खातेदार से भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.05.2008 को एवं खसरा सं. 837 के खातेदार से 5 बीघा भूमि जिसके नये नम्बर 1807/837 बने है, को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2009 से खरीद की है। खरीद की गई भूमि के लगवा वाद विषयक आवंटित भूमि है जिस पर अपीलांट का वर्ष 2008 से निरन्तर अब तक कब्जा चला आ रहा है। इसके पूर्व उक्त आवंटित भूमि पर वर्षो पूर्व से जिससे अपीलांट ने भूमि खरीद की उसका कब्जा चला आ रहा था। उनसे अपीलांट ने कब्जा प्राप्त किया था। उक्त भूमि पर आवंटन के पूर्व व आवंटन के पश्चात भी आवंटी दयाला एवं उसके पुत्र रेस्पो0 का कभी भी कब्जा नहीं रहा था। इस प्रकार कब्जे के अभाव में आवंटी को खातेदारी नहीं दी जा सकती थी, इस पर गौर नहीं कर खातेदारी देने में भारी भूल की है। आवंटित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि के समीपवर्ती भूमि है, इस कारण अपीलांट प्रथम उक्त भूमि आवंटन कराने का अधिकारी है। तथ्यों को छिपाकर उक्त भूमि आवंटन कराई है, इस कारण सक्षम न्यायालय में आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है। उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी पूर्व के खातेदार एवं अपीलांट को नहीं थी। कुछ दिन पूर्व दिनांक 25.07.2023 को रेस्पो. उक्त भूमि बेचान करने हेतु दलालों को लेकर आये व कहा कि हम भूमि बेचान करेंगे तथा ताकतवर व्यक्तियों के बल पर कानून हाथ में लेकर उक्त भूमि पर कब्जा करेंगे क्योंकि यह भूमि हमारे आवंटित हो रखी है तथा हमें खातेदारी मिल गई है। इस पर अपीलांट ने समस्त तथ्यों की जानकारी कर दिनांक 31.07.2023 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल दिनांक 03.08.2023 को प्राप्त हुई। जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है। धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319 एवं आरआरडी 1990 पेज 465 की नजीरे पेश करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलांटस का नाम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने बाबत निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपील विषयक आराजी खसरा सं. 98 व 99 रेस्पो.सं.1, 2, 3 के पिता दयाला को दिनांक 19.06.1976 को आवंटित हुई थी। आवंटी द्वारा निरन्तर कब्जा काश्त होकर आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 19.05.1992 से गैर खातेदार दयाला को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। अपीलांट का उक्त आराजी से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से अपीलांट के हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। ऐसे में अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण से प्रभावित पीड़ित पक्षकार नहीं होने से उसे हस्तगत अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. अस्वीकार किया जाकर अपील पोषनीय नहीं होने से खारिज की जावे। इसके बाद अभिभाषक रेस्पो. द्वारा आगे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि आवंटी दयाला के पक्ष में किये गये आवंटन को 48 वर्ष गुजर चुके है तथा उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये भी 32 वर्ष हो चुके है, जबकि अपीलांट द्वारा दिनांक 11.11.2009 को उक्त भूमि के पास में अन्य खातेदार की भूमि खरीदी गई थी। अपीलांट ने स्वयं को वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज होना बताया है, तो उक्त भूमि के खाते की अपीलांट को करीब 14 वर्ष गुजर जाने तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्सनीय नहीं है जबकि किसानों को समय समय पर राजस्व रिकार्ड की जरूरत होने से खाते में दर्ज नामों की जानकारी रहती है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 25.07.2023 से पूर्व से ही रही थी। अपीलांट द्वारा नामान्तरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की जाकर काफी विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया गया। अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अन्त में अभिभाषक रेस्पो. द्वारा मेरिट पर निवेदन किया गया कि रेस्पो. के पिता दयाला का खसरा सं. 98 व 99 की भूमि पर काफी पुराना कब्जा काश्त रहा है जिससे आवंटन का पात्र होने से भूमि का आवंटन किया गया। गैर खातेदार दयाला द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना किये जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण से उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। अपीलांट का अपील विषयक आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अपीलांट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि किया जाना साबित हो। अपीलांट जबरन दादागिरी व ताकत के आधार पर विपक्षीगण से उक्त भूमि को हडपना चाहती है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील विषयक आराजी पर अपना कब्जा होना बताया है। अपीलांट की अपील का मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 19.05.1992 को तस्दीक किया गया था। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 08.08.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.07.2023 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम गेण्डोलीकलां में विस्थित आराजी खसरा सं. 98 व 99 के गैरखातेदार दयाला वल्द चतरा रेगर के पक्ष में खातेदारी बाबत नामान्तरकरण सं. 10 दिनांक 19.05.1992 तस्दीक किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की जाकर आपत्ति प्रकट की गई है कि अपीलांट के कब्जे की कृषि भूमि पर दयाला को खातेदारी प्रदान करने बाबत तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। जबकि रेस्पो.सं.1, 2, 3 का प्रत्युत्तर रहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 19.05.1992 को तस्दीक किया गया था जबकि अपीलांट द्वारा अपील विषयक भूमि के पास अन्य खातेदार से भूमि दिनांक 11.11.2009 को क्रय की गई थी। ऐसे में अपीलांट के कब्जे की भूमि पर गैर खातेदार को खातेदारी दिये जाने का आरोप मिथ्या एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है। यहा उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अपील में अंकित किये गये तथ्य कथन मात्र है, जिनकी पुष्टि हेतु पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं होने से अपील सारहीन पायी गई। इस प्रकार अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण को विधिविरूद्ध को साबित करने में असफल रही है। ऐसे में अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट यदि उक्त खातेदारी भूमि पर अपना हक अधिकार मानती है तो उसे अपने अधिकार के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही किया जाना चाहिए।

जिला कलेक्टर बूंदी

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी